



2026:AHC:4510

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 17761 वर्ष 2025

भोला यादव

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सैयद वाजिद अली

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद वाजिद अली और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार के तर्कों को सुना।
- विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने यह तर्क दिया है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे मामले की पैरवी करने में सक्षम हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते और याचिका का फैसला अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
- पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
- याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें 12.07.1999 को गोरखपुर जिले में मौसमी संग्रहण अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था और वरिष्ठता सूची में उनका नाम क्रमांक 27 पर है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उनकी सेवाएं 05.02.2005 को नियमित कर दी गईं और उन्होंने नियमित संग्रहण अमीन के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 3/ कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर द्वारा 28.06.2006 को याचिकाकर्ता और 20 अन्य लोगों की संग्रहण अमीन के पद से नियुक्ति रद्द करने का आदेश पारित किया गया, जिसे रिट याचिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या 36192/2006 (भोला यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) में चुनौती दी गई थी। इस याचिका में एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था और उसके बाद उक्त रिट याचिका का निस्तारण 13.07.2006 को रिट याचिका संख्या 34762/2006 (अमीरउद्दीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के फैसले के अनुसार किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने 27.07.2006 को प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसे 19.10.2006 को अस्वीकार कर दिया गया। इस अभ्यावेदन को रिट याचिका संख्या 61096/2005 में चुनौती दी गई थी, जिसका निस्तारण रिट याचिका संख्या 59953/2006 (अमीरउद्दीन और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) के फैसले के बाद 08.11.2006 को किया गया था। याचिकाकर्ता के अनुसार, 23.02.2007 को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के दावे को फिर से अस्वीकार कर दिया गया। इस अभ्यावेदन को रिट याचिका संख्या 13506/2007 में चुनौती दी गई थी, जिसमें 23.02.2007 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया था। इसके बाद 8 मई 2009 को याचिकाकर्ता की सेवाएँ संग्रह अमीन के पद पर स्थायी कर दी गईं, और याचिकाकर्ता ने 27 नवंबर 2025 को रिट याचिका संख्या 13506/2007 को वापस ले लिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उन्हें 23 अगस्त 2017 को एसीपी का पद भी दिया गया था। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन याचिकाकर्ता के दावे को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया कि रिट याचिका संख्या 36192/2006 (भोला यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य) लंबित थी। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है और यह आधार कि दिनांक 23.02.2007 के आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका संख्या 13506/2007 पहले से ही लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार नहीं किया जा सकता, कानून के अनुसार नहीं है, विशेष रूप से तब जब रिट याचिका अब वापस ले ली गई है और खारिज कर दी गई है, और विशेष रूप से तब जब याचिकाकर्ता ने स्वयं पुष्टि की है कि उक्त रिट याचिका अपनी वैधता खो चुकी है।

5. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि चाहे जो भी हो, इस संबंध में निर्णय गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाना है।



6. न्यायालय में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, रिट याचिका का **निस्तारण** करते हुए याचिकाकर्ता को आदेश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3, पात्रता और उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

7. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख में दर्ज कर लिया गया है और परिशिष्ट 'ए' के रूप में चिह्नित किया गया है।

8 जनवरी, 2026

एन. एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)